संख्या-39/2025/।/917728/2025/001-71-2099/633/2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक-26-03-2025**

विषयः- संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नैफ्रोलोजी विभाग में पेयजल तथा डायलिसिस के लिये आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना हेतु जी0एस0टी0 की पुनरीक्षित दर से जमा की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-113/2020/34, दिनांक 26.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नैफ्रोलोजी विभाग में पेयजल तथा डायलिसिस के लिये आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना हेतु जीए0स0टी0 की पुनरीक्षित दर से जमा की गयी धनराशि रू0 69.05 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक 31.03.2021 द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 1710.24 लाख + जी0एस0टी0 सहित स्वीकृत की गयी थी। उक्त स्वीकृत धनराशि में 12 प्रतिशत की दर से रू0 181.17 लाख जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमोदित की गयी थी, जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 250.22 लाख का भुगतान किया गया है। इस प्रकार कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 20.10.2022 से दिनांक 04.03.2023 के मध्य बढी हुयी जी0एस0टी0 (रू0 250.22-181.17 लाख) दर 18 प्रतिशत प्रतिशत से किये गये भुगतान की धनराशि रू0 69.05 लाख की अतिरिक्त निर्गत किया जाना अवशेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में संस्थान के नैफ्रोलोजी विभाग में पेयजल तथा डायलिसिस के लिये आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना हेतु जी0एस0टी0 की पुनरीक्षित दर से जमा की गयी धनराशि अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 69.05 लाख (रुपये उनहत्तर लाख पाँच हजार मात्र) अवमुक्त निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अन्य कार्य हेतु व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त जी0एस0टी0 की धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते आदि में नही रखा जायेगा।
5. संस्थान के वित्त नियन्त्रक द्वारा जी0एस0टी0 मद में व्यय की गयी धनराशि से संबंधित चालानों तथा आंकड़ो का पुनः मिलान कर लिया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि की सीमा तक ही कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किया जाये।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहंरित किया जायेगा तथा बिल पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 69,05,000 (रुपये उनहत्तर लाख पाँच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव

संख्या-39/2025/1/917728/2025/001-71-2099/633/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।